भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2596
उत्तर देने की तारीख 17.03.2025

पारंपरिक कारीगरों के लिए समर्थन

2596. श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पारंपरिक कारीगरों की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें विभिन्न शिल्पों में लगे कारीगरों की संख्या और इस क्षेत्र का आर्थिक योगदान शामिल है;

(ख) विशेषकर आर्थिक मंदी के दौरान पारंपरिक कारीगरों के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं और ये चुनौतियां किस प्रकार से उनकी आजीविका और शिल्प को प्रभावित करती हैं;

(ग) आर्थिक मंदी के दौरान पारंपरिक कारीगरों को सहायता देने के लिए वर्तमान में लागू पहलों का ब्यौरा क्या है, जिसमें कोई वित्तीय सहायता कार्यक्रम या कौशल विकास योजनाएं सम्मिलित हैं;

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक कारीगरों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) पारंपरिक कारीगरों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर इन सहायता तंत्रों का प्रभाव क्या है; और

(च) देश में पारंपरिक कारीगरों की सहायता को मजबूत करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई के संबंध में विशेषज्ञों या समितियों द्वारा की गई किसी भी सिफारिश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में विकास आयुक्त का कार्यालय (हस्तशिल्प), देश के हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और समग्र हस्तशिल्प क्लस्टर विकास स्कीम

(सीएचसीडीएस) नामक दो स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों के तहत विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचनात्मक और तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता आदि के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों सहित कारीगरों को पूर्ण सहायता प्रदान करने हेतु, आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे पूरे देश के पारंपरिक शिल्पों और कारीगरों को लाभ होता है। इसके अतिरिक्त, यह कार्यालय जीआई अधिनियम 1999 के अंतर्गत शिल्पों के पंजीकरण हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ताकि शिल्पों को विशिष्ट मान्यता प्राप्त हो सके जिससे आधुनिक तकनीकी उन्नति के कारण विलुप्त हो रहे हस्तशिल्पों को संवर्धित और परिरक्षित किया जा सके।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय वस्त्र मंत्रालय द्वारा पहचान पहल के अंतर्गत अब तक 33.15 लाख पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय हस्तशिल्प कारीगरों में समृद्ध विरासत, शिल्प कौशल को बढ़ावा देने तथा उद्यमशीलता की भावना लाने के लिए उत्पादक कंपनी के गठन के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

एनएचडीपी स्कीम के हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास के घटक के तहत गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (जीएसएचपीपी), व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम (सीएसयूपी) तथा डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला (डीडीडब्ल्यू) के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा 81,276 कारीगरों को लाभान्वित किया गया है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे 629 कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(च): इस संबंध में विशेषज्ञों या समितियों द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है।

*****